न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 16/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुभाष चन्द पुत्र रामसिंह

2. निर्मला पत्नी स्व0 जसवन्त जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:————————अपीलांटस

बनाम

1 हंसराज पुत्र रामनाथ

2 ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ (मृतक)

2/1 रामकला पत्नी स्व0 ओमप्रकाश

2/2 संजय पुत्र स्व0 ओमप्रकाश

2/3 मोहित पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:————————असल रेस्पों0

3 सतीश कुमार पुत्र रामसिंह

4 राहुल पुत्र जसवन्त

5 निशा पुत्री जसवन्त

6 प्रदीप

7 विजय पुत्रान अभयसिंह

8 सुमन पुत्री अभयसिंह

9 सावित्री पत्नी अभयसिंह

10 रामनाथ पुत्र मामराज जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मुण्डावर जिला अलवर राज0

11 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

12 उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर

13 पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक जाट बहरोड अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 14.1.2016

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 15.04.2021

1 प्रस्तुत अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 162/2015 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 14.1.2.016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादीगण का उक्त वाद डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 752/57 रकबा 48 एयर तथा 753/57 रकबा 42 एयर वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में से 56 एयर भूमि विवादित है । ये हाल खसरा नम्बर बंदोबस्त विभाग ने एक ही खसरा नम्बर 57 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा से बनाये हैं । जो वादीगण के दादा मामराज की गैर खातेदारी की भूमि थी । उन्होंने उक्त आराजी का हिबानामा वादीगण संख्या 01 व 02 को बहिस्से बराबर 1/2, 1/2 में दिनांक 10.3.81 को पंजीकृत कराया था। परन्तु इसका विरासत का इंतकाल नम्बर 136 व खातेदारी का इंतकाल नम्बर 236 प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 9 के पिता/दादा/ससुर रामसिंह तथा प्रतिवादी नम्बर 10 रामनाथ के नाम 1/2, 1/2 में दर्ज कर दिया गया, जो गलत है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

...-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
...अपील अधिकारी, अलवर

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 753/57 रकबा 42 एयर हमारी एवं तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 752/57 रकबा 48 एयर में हमारा एवं तरतीबी रेस्पो0 का 1/2 भाग है । इंतकाल नम्बर 136 विरासत का एवं इंतकाल नम्बर 236 खातेदारी का हमारे पक्ष में स्वीकृत हुये हैं । प्रतिवादी नम्बर 10 रामनाथ ने वादीगण से साजबाज होकर इकबाल दावा प्रस्तुत कर दिया और शेष प्रतिवादीगण की फर्जी तामील कराकर उनकी इकतरफा कर दी गई । हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। विवादित भूमि मामराज की गैर खातेदारी की थी । कानूनन गैर खातेदारी की भूमि का हिबानामा नहीं किया जा सकता । हिबानामा के आधार पर केवल सिविल न्यायालय ही टाईटल सिद्ध कर सकता है, राजस्व न्यायालय नहीं । गैर खातेदारी की भूमि पर कानूनन कीमत कर्जा जमा कराकर ही खातेदारी ली जा सकती है, दावे के माध्यम से खातेदारी नहीं दी जा सकती । आर0 टी0 एक्ट की धारा 89 (4) के अनुसार केवल खातेदार ही अपने अधिकार हस्तांतरित कर सकता है, गैर खातेदार नहीं । यह भूमि मामराज की खरीदशुदा नहीं थी । मामराज के 2 पुत्र रामसिंह व रामनाथ थे । रामसिंह के हम वारिस है और रामनाथ के वादीगण वारिस है । विवादित रकबा हमारे हिस्से में आया था । सही तौर पर हमारे पक्ष में इंतकाल स्वीकृत हुये हैं । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपनी बहस के समर्थन में आर0 बी0 जे0 (20) 2013 पेज 115, आर0 बी0 जे0 (18) 2011 राज0 उच्च न्यायालय पेज 693, 2014 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 209, 2012 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 709 का हवाला दिया ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि इनकी जरिये रजिस्ट्री तामील हुई है । खसरा नम्बर 57 मामराज की खरीदशुदा भूमि थी । वह विवादित भूमि का गैर खातेदार था । उसने हमारे पक्ष में पंजीकृत हिबानामा करवाया है । जब हमारे पक्ष में हिबानामा हो चुका था तो ऐसी स्थिति में इनका विरासत का इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता । हमारे हिबानामा को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया है । वर्ष 1981 की कॉपी प्रस्तुत की है, गैर खातेदारी मिली है । अगर धारा 16 एवं 42 आर0 टी0 एक्ट प्रभावित होती है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तो खातेदारी नहीं दी जा सकती । हिबानामा के आधार पर हम काबिज है । दावा सही डिक्री किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। दस्तावेज प्रदर्श 01 एवं 02 दिनांक 10.3.81 को वादीगण के पक्ष में हिबानामा पंजीकृत हुआ है । यह हिबानामा मामराज, जो कि वादीगण के दादा थे, ने वादीगण के पक्ष में कराया है । मामराज विवादित भूमि का गैर खातेदार था । यह हिबानामा वादीगण के पक्ष में 1/2, 1/2 भाग में हुआ था। जब वादीगण के पक्ष में हिबानामा हो चुका था तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पक्ष में विरासता का इंतकाल नम्बर 136 और उसके बाद खातेदारी का इंतकाल नम्बर 236 स्वीकार नहीं किये जा सकते थे । वादीगण उक्त हिबानामा के आधार पर खातेदारी पाने के अधिकारी है । तहत अदालत का निर्णय विधि अनुकूल है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.1.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

15/4/2021

(अशोक कुमार सोखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 16/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. सुभाष चन्द पुत्र रामसिंह

2. निर्मला पत्नी स्व0 जसवन्त जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:------------अपीलांटस

बनाम

1 हंसराज पुत्र रामनाथ

2 ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ (मृतक)

2/1 रामकला पत्नी स्व0 ओमप्रकाश

2/2 संजय पुत्र स्व0 ओमप्रकाश

2/3 मोहित पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:---------असल रेस्पों0

3 सतीश कुमार पुत्र रामसिंह

4 राहुल पुत्र जसवन्त

5 निशा पुत्री जसवन्त

6 प्रदीप

7 विजय पुत्रान अभयसिंह

8 सुमन पुत्री अभयसिंह

9 सावित्री पत्नी अभयसिंह

10 रामनाथ पुत्र मामराज जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मुण्डावर जिला अलवर राज0

11 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

12 उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर

13 पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक जाट बहरोड़ अलवर

:---- तरतीबी रेस्पा0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 14.1.2016

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री दिनेश यादव

पर्चा डिक्री दिनांक 15.04.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.1.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

15/4/2021

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर